



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012023-241834
CG-DL-E-10012023-241834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/पौष 20, 1944

No. 10]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

फा. सं. एवी-24032/56/2021-एएआई-एमओसीए.—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 में परिकल्पना की गई है कि केंद्र सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को उचित प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियाँ, एवं अन्य सुविधाएं और सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ प्राकृतिक वातावरण, परिवहन, सूचना तथा संचार के लिए पहुँच के मानक निर्धारित करने के क्रम में दिव्यांगजनों के लिए नियम तैयार करेगी।

और जबकि, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल केन्द्रीय मंत्रालय है, तथा तदनुसार, मंत्रालय ने हितधारकों एवं मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के कार्यालय के परामर्श से, दिव्यांगजनों एवं अन्य प्रयोक्ता समूहों की पहुँच की आवश्यकताओं, जो उन्हें समुचित वातावरण उपलब्ध कराने एवं हवाई यात्रा से जुड़ी सेवाओं के संदर्भ में हो, का समाधान करने के उद्देश्य से 'नागर विमानन के लिए पहुँच मानक एवं दिशानिर्देश' तैयार किए हैं।

अब, नागर विमानन मंत्रालय एतद्वारा 'नागर विमानन के लिए पहुँच मानक तथा दिशानिर्देश' अधिसूचित करता है तथा यह <https://www.civilaviation.gov.in>; <https://www.aai.aero>; <https://www.dgca.gov.in> एवं <https://www.bcasindia.gov.in> पर उपलब्ध है।

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2023

F. No. AV-24032/56/2021-AAI-MoCA.—Whereas Section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 envisages that the Central Government shall, in consultation with the Chief Commissioner, formulate rules for persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation, information and communications, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services provided to the public in urban and rural areas.

And whereas, Ministry of Civil Aviation is the nodal Central Ministry with respect to issues concerning civil aviation sector and accordingly, developed ‘Accessibility Standards and Guidelines for Civil Aviation’ with intend to address the accessibility needs of persons with disabilities and other user groups in context of built environment and services associated with air travel, in consultation with stakeholders and office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities;

Now, Ministry of Civil Aviation hereby notifies the ‘Accessibility Standards and Guidelines for Civil Aviation’ and the same is available at <https://www.civilaviation.gov.in>; <https://www.aai.aero>; <https://www.dgca.gov.in> and <https://www.bcasindia.gov.in>.

RUBINA ALI, Jt. Secy.